

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

५४

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बान से ही किया जाये जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के बान से।
सम्बन्धित विषय पर यहि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुए हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जाये जिससे समिति समिति हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2013/ ३२७

दिनांक: १०/०५/१३

// सूचना //

०७५१-५०३३११०

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध गेम कॉलेज नया बाजार लस्कर ग्वालियर () को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.बी.ए. ड्वितीय, बी.सी.ए. ड्वितीय, बी.कॉम ड्वितीय प्लेन / कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत नियमानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- प्रो. ए.के. श्रीवास्तव, आचार्य, भौतिकी अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा. (संयोजक) (९४२५११३४९६)
- प्रो. के.एस. छकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा.
- प्रो. हेमत शर्मा, आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा.

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेक्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये विर्णानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के विदेशों का पालन युक्तिवाचीकृत किया जा सकेगा।

गज के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की विवादिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्थात् जमा कराकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जाने वाले को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुत्विति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के अस्थायी को दा.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

23/09/12
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
- आगुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

R
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)